उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 108 /VII-A-1/2024–03(101)2021 टी0सी0
देहरादून, दिनांकः 16 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप संख्या–492/VII-A-1/2024–03(101)2021 टी0सी0, दिनांक 16 जनवरी, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 ''दूरी के मानक'' में किये गये अतिरिक्त प्राविधान की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव– मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराख्इ ाण्ड, देहरादून।
6. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अतिरिक्त प्राविधान को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग–1
संख्याः ५१२ /VII-A-1/2024–03(101)/2021 टी0सी0
देहरादूनः दिनांक 16 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1875/VII-A-1/2021–03(101)/2021, दिनांक 11.11.2021 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 "दूरी के मानक" के पश्चात् निम्नानुसार अतिरिक्त प्राविधान 7 (क) जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अतिरिक्त प्राविधान

7 (क). जिन आवेदनकर्ताओं के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के प्रावधानानुसार स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के लिए अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र मे निर्धारित शुल्क सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हो तथा जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव विभाग/शासन स्तर पर उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के प्रख्यापन से पूर्व प्रस्तुत कर दिया हो, ऐसे स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के लिए अनुज्ञा स्वीकृति एवं संयत्र की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 मे निर्धारित दूरी सम्बन्धी मानक लागू होंगे"।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव